झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

प्रेस विज्ञप्ति।

केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'C' की ऑन–लाईन निर्गमन योजना।

वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड द्वारा व्यवसायियों को ई–गवर्नेन्स की सुविधा देने के कम में ऑन–लाईन निबंधन, ऑन–लाईन कर विवरणी दाखिला तथा ऑन–लाईन कर भुगतान की योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। इसी कम में विभाग द्वारा 26 जनवरी, 2012 से केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्र 'C' के ऑन–लाईन निर्गमन की सुविधा प्रारम्भ की जा रही है।

अतः सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि वाणिज्य–कर विभाग की बेवसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in पर उपलब्ध Online Return Filing हेतु उपलब्ध Link पर जाकर केन्द्रीय प्रपत्र 'C' का निर्गमन कर सकते हैं।

उक्त योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यवसायियों को निम्न प्रकियाएं पूरी करना आवश्यक है :–

1. Update CST Profile – व्यवसायियों को विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.nic.in पर उपलब्ध Online Return Filing के link पर click करना होगा। उक्त Link पर जाने के उपरांत व्यवसायी को अपने ID/PASSWORD से Login करना होगा। तदोपरांत CENTRAL FORM के menu को click करने पर "Update CST Profile" का sub-menu सामने आएगा। केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित व्यवसायी उक्त Profile को पूरी तरह भर लें। साथ ही, विभाग द्वारा पूर्व में Manually निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र को Scan कर upload करना भी आवश्यक है। उक्त Profile को भरने हेतु एक Manual विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. Online Filing of Returns – व्यवसायियों द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन प्रावधानित विवरणी (JVAT 200/214) एवं केन्द्रीय बिकी कर की विवरणी (FORM I) का ऑन–लाईन दाखिल करना।

3. Online Payment – व्यवसायियों द्वारा VAT/CST अधिनियमों के अधीन ऑन–लाईन कर भुगतान करना।

4. Online Payment of Fees for Central Form 'C' – केन्द्रीय बिकी कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 7 (1) के अधीन व्यवसायियों को प्रति 25 केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों (पन्नें) के लिए विहित रू0 100/– का शुल्क जमा करना।

   उक्त शुल्क वैट के TIN के साथ Admitted Tax Menu में उपलब्ध "Miscellaneous" विकल्प में जमा किया जा सकता है।

5. नये केन्द्रीय बिकी कर विवरणी (त्रैमासिक) के कॉलम–27 को अत्यधिक सावधानी से भरना अपेक्षित है। किसी प्रकार की त्रुटि रहने से ऑनलाईन Form 'C' का निर्गमन विभागीय सॉफ्टवेयर के द्वारा नही होगा।

   उक्त त्रैमासिक विवरणी के निम्न भाग पर उपलब्ध (upload Invoice) की प्रविष्टि करना आवश्यक है। विभागीय सॉफ्टवेयर द्वारा invoice detail के आधार पर केन्द्रीय प्रपत्र 'C' निर्गमित/ download हो पाएगा। उक्त प्रपत्र तीन प्रतियों में यथा Counter foil, Duplicate एवं Original में निर्गमित/ download होगा। व्यवसायी उक्त तीनों प्रतियों हेतु A4 साईज पेपर पर, प्रिंट आउट निकालकर अपने मुहर जिसमें व्यवसायी का नाम एवं TIN के साथ अपने व्यवसायिक उदेश्य हेतु Authorized व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर, दूसरे राज्य के बिकेता व्यवसायी को प्रेषित करेंगे।

25/1/12

6. विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन निर्गमित वैधानिक प्रपत्रों की inventory व्यवसायीवार उपलब्ध रहेगी। साथ ही, TINXSYS पोर्टल पर भी ऑनलाईन निर्गमित/ downloaded वैधानिक प्रपत्रों का विवरण उपलब्ध रहेगा जिसका प्रतिसत्यापन किया जा सकेगा।

केन्द्रीय प्रपत्र 'C' के ऑनलाईन निर्गमन हेतु व्यवसायी विभागीय वेबसाईट www.jharkhandcomtax.nic.in पर उपलब्ध User Manual for On-line Issuance of Form 'C' की सहायता ले सकते हैं। अतः सभी निबंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा "On-line Issuance of Form 'C' Scheme" की सुविधा का लाभ उठाएं।

अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागीय HELP DESK दूरभाष संख्या - 0651-2405185 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

20/1/12

वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।